न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 29/2022

साहब खां पुत्र कमर खाँ जाति मेव निवासी हैवतका तहसील पहाडी — प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर) राज0। — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश शर्मा वकील प्रार्थी

दिनांक :— 22/04/2022

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 623/0.32, बांके ग्राम कान्हौर तहसील पहाडी में स्थित है। उक्त खसरा नम्बर ग्राम कान्हौर में दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम हैवतका की जगह खेडली मन्ना गलत दर्ज हो गया है। जिसे प्रार्थी शुद्ध कराने का पूर्ण अधिकारी है और राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 623/0.32 पर दर्ज प्रार्थी का ग्राम खेडली मन्ना के स्थान पर हैवतका दर्ज किया जावे। राजस्व रिकॉर्ड में चल रहे गलत इन्द्राज की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 31/03/2022 को नकल जमाबन्दी लेने पर हुई। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 623/0.36 बांके ग्राम कान्हौर तहसील पहाडी में प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज हुये खेडली मन्ना की जगह ग्राम हैवतका दर्ज कराये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार पहाडी ने दिनांक 20/04/2022 को न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड व मौका कब्जानुसार स्वीकार है। रिकॉर्ड में भूलवश लिपिकीय त्रुटि के कारण ग्राम हैवतका के स्थान पर खेडली मन्ना दर्ज हो गया है इसलिए रिकॉर्ड में दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित होगा।

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब तहसीलदार का गहनता से अध्ययन किया। आराजी खसरा नम्बर 623/0.32, बांके ग्राम कान्हौर तहसील पहाडी में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का पता राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम हैवतका की जगह खेडली मन्ना गलत दर्ज हो गया है। इस तथ्य की पुष्टि नकल नामान्तरण संख्या 1171 दिनांक 05.07.2011 से भी होती है। जिसमें प्रार्थी का पता उक्त भूमि पर ग्राम हैवतका दर्ज रिकार्ड है। इस तथ्य पर तहसीलदार पहाड़ी ने भी अपनी सहमति जतायी है। अतः प्रार्थी का पता राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम खेडली मन्ना की जगह ग्राम हैवतका दर्ज किया जाना उचित है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी का पता राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम खेडली मन्ना की जगह ग्राम हैवतका दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/04/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी पहाडी (उप जिला कोर्ट)

Scanned with CamScanner